रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241289 CG-DL-E-22122022-241289

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5719]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

No. 5719]

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5957(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5354 (अ) तारीख 23 दिसम्बर,2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे के डिजाइन चैनेज 324+500 कि.मी. से 380+000 कि.मी. (वडोदरा-मुंबई) तक के भुखण्ड के निर्माण (छह / आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 7 जनवरी 2022, को "द इंण्डियन एक्सप्रेस" और "संदेश" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और कोई भी आक्षेप प्राप्त नही हुए थे;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

8525 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे के डिजाइन चैनेज 324+500 कि.मी. से 380+000 कि.मी. तक (वडोदरा-मुंबई खण्ड), के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: वडोदरा							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: करजन						
	गांव का नाम: बोडका						
1	161	निजी	कृषि	0.0506	पटेल परेशाबेन मनुभाई पटेल राजेश्रीबेन मनुभाई पटेल नीलेशभाई मनुभाई पटेल सुशीलाबेन मनुभाई ()		
	तालुक का नाम: वडोदरा						
	गांव का नाम: रायका						
1	426	निजी	कृषि	0.0111	वाघेला भगवानिसंह जीतिसंह वाघेला अरविंदिसंह जीतिसंह अजीतिसंह छत्रिसंह वाघेला रतनिसंह छत्रिसंह वाघेला देवकूंवरबा छत्रिसंह वाघेला जगदीशिसंह छत्रिसंह वाघेला बलवंतिसंह छत्रिसंह वाघेला मधुबेन प्रतापिसंह वाघेला महेन्द्रिसंह प्रतापिसंह वाघेला धर्मेन्द्रिसंह प्रतापिसंह वाघेला प्रतापिसंह वाघेला		
	गांव का नाम: समियाला						
2	301	निजी	कृषि	0.0675	सैयद नजरअली नुरुद्दीन सैयद मुमताजअली कायमअली सैयद मोहसीनअली कायमअली सैयद जरीनाबेन नजरअली सैयद वाहीदअली		

					नजरअली		
					()		
3	308	निजी	कृषि	0.041	गोहील मणीबेन ते सोमाभाई छोटाभाई की विधवा गोहील मधुबेन सोमाभाई गोहील कांन्ताबेन सोमाभाई गोहील कानजीभाई सोमाभाई गोहील रमणभाई सोमाभाई गोहील लखीबेन मानसींगभाई गोहील संजयभाई मानसींगभाई		
4	328	निजी	कृषि	0.0297	परमार मधुबेन मंगलभाई परमार राजूभाई भाईलालभाई जयाबेन रणछोडभाई परमार ज्योत्सनाबेन रणछोडभाई परमार शारदाबेन प्रभातभाई परमार रंजनबेन चंदुभाई चौहाण प्रवीणभाई वीनूभाई चावडा सुमित्राबेन नगीनभाई परमार रमीलाबेन हसमुखभाई परमार शांताबेन चतुरभाई परमार मुकेशभाई चतुरभाई परमार किशोरकुमार चतुरभाई परमार विजयभाई चतुरभाई परमार आरतीबेन जशुभाई परमार अल्पेशकुमार जशुभाई परमार ()		
5	470	निजी	कृषि	0.0178	बारीया सीताबेन छगनभाई ()		
	गांव का नाम: शेरखी						
6	640 (375/3)	निजी	कृषि	0.0212	परमार सुरेन्द्रसिंह सामंतिसिंह परमार कुंदनसिंह सामंतिसिंह परमार हरीसिंह सामंतिसिंह ()		
			कुल	0.2389			

फा. सं. NHAI/Surat/15/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

**S.O.** 5957(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5354 (E) dated 23.12.2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (Six /Eight laning, etc.), maintenance, management and

operation of Proposed Vadodara - Mumbai Expressway, on the stretch of land from design chainage Km. 324+500 to Km. 380+000 (Vadodara - Mumbai) in the district Vadodara in the state of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Indian Express" and "Sandesh" both dated 7th January 2022, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objections have been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from design chainage Km. 324+500 to Km. 380+000 (Vadodara - Mumbai Section) of the proposed Vadodara - Mumbai Expressway in the district Vadodara in the state of Gujarat.

States	GUJARAT	District: V	adodra					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.			
1	2	3	4	5	6			
	Taluk: Karjan							
	Village: Bodaka							
1	161	Private	Agriculture	0.0506	Patel Pareshaben Manubhai Patel Rajeshreeben Manubhai Patel Nileshbhai Manubhai Patel Sushilaben Manubhai			
	Taluk: Vadodra							
	Village: Rayaka							
1	426	Private	Agriculture	0.0111	Vaghela Bhagwansinh Jitsinh Vaghela Arvindsinh Jitsinh Ajitsinh Chhatrasinh Vaghela Ratansinh Chhatrasinh Vaghela Devkunvarba Chhatrasinh Vaghela Jagdishsinh Chhatrasinh Vaghela Balvantsinh Chhatrasinh Vaghela Madhuben Pratapsinh Vaghela Mahendrasinh Pratapsinh Vaghela Dharmendrasinh Pratapsinh Vaghela Janakba Pratapsinh Vaghela			
	Village: Samiyala							
2	301	Private	Agriculture	0.0675	Saiyad Najarali Nuruddin Saiyad Mumtazali Kayamali Saiyad Mohsinali Kayamali Saiyad Zarinaben Najarali Saiyad Vahidali Najarali			
3	308	Private	Agriculture	0.041	Gohil Maniben Wd/o Somabhai Chhotabhai Gohil Madhuben Somabhai Gohil Kantaben Somabhai Gohil Kanjibhai Somabhai Gohil Ramanbhai Somabhai Gohil Lakhiben Mansingbhai Gohil Sanjaybhai Mansingbhai			

4	328	Private	Agriculture	0.0297	Parmar Madhuben Mangalbhai Parmar Rajubhai Bhailalbhai Jayaben Ranchhodbhai Parmar Jyotshanaben Ranchhodbhai Parmar Shardaben Prabhatbhai Parmar Ranjanben Chandubhai Chauhan Pravinbhai Vinubhai Chavda Sumitraben Naginbhai Parmar Ramilaben Hasmukhbhai Parmar Shantaben Chaturbhai Parmar Mukeshbhai Chaturbhai Parmar Kishorkumar Chaturbhai Parmar Vijaybhai Chaturbhai Parmar Bharatiben Jashubhai Parmar Alpeshkumar Jashubhai Parmar		
5	470	Private	Agriculture	0.0178	Bariya Sitaben Chhaganbhai		
	Village: Sherkhi						
6	640 (375/3)	Private	Agriculture	0.0212	Parmar Surendrasinh Samantsinh Parmar Kundansinh Samantsinh Parmar Harisinh Samantsinh		
r			TOTAL	0.2389			

[F. No. NHAI/Surat/15/3D] RAJESH GUPTA, Director